लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1210

दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा बुनकरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1210. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और कपास वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल) का गत तीन वर्षों के दौरान विस्तृत डेटा क्या है;

(ख) दादरा और नागर हवेली में इस उद्देश्य के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) वस्त्र व्यापारियों और बुनकरों के भविष्य की सुरक्षा के लिए उचित और सुरक्षित आय के लिए सरकार के विचाराधीन योजनाओं के अधिनियमन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार देश भर में हथकरघा बुनकरों/कामगारों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:

- 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे हथकरघा पुरस्कार विजेता बुनकर/कामगार जिनकी वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से कम है, उन्हें विकट परिस्थितियों में 8,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता तथा हथकरघा बुनकरों/कामगारों के बच्चों (2 बच्चों तक) को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/वित्तपोषित वस्त्र संस्थानों में डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- प्राकृतिक/दुर्घटना के कारण मृत्यु और पूर्ण/आंशिक दिव्यांगता के मामले में बीमा योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से सार्वभौमिक और किफायती सामाजिक सुरक्षा।

पिछले 3 वर्षों से कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा कॉटन यॉर्न, कॉटन फैब्रिक्स, मेडअप, अन्य टेक्सटाइल यॉर्न, फैब्रिक मेडअप आर्टिकल और अपशिष्ट सहित सूती कच्चे माल का कुल निर्यात 40,508.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। (स्रोतः वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय)

(ख): हथकरघा बुनकरों/कामगारों के लिए उपरोक्त कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधि आवंटित नहीं की जाती है। उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर पुरस्कार प्राप्त हथकरघा बुनकरों/कामगारों को आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता और हथकरघा बुनकरों/कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत हथकरघा बुनकरों/कामगारों के नामांकन के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार को भारत सरकार का हिस्सा भी जारी किया जाता है।

(ग): वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****